जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : प्रशा/जीविवि/2017/1200 दिनांक : 12/09/2017

//संशोधित–अधिसूचना//

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्र0 प्रशा/जीविवि/2017/1092 दिनांक 11/08/2017 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये सर्वसाधारण के उपयोगार्थ निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है।

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदना	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1.	नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र प्रदान करना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	03–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
2.	प्रोवीजनल उपाधि/डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	02–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
3.	अंकसूची में सुधार/नाम/उपनाम (सरनेम) सुधार करना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	02–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
4.	शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना	श्री यू0एस0 सालसेकर, सहायक कुलसचिव, अकादमी	15–कार्य दिवस	उप–कुलसचिव, अकादमी	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
5.	शोध प्रबंध (Thesis) प्रस्तुति के पश्चात् पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	180–कार्य दिवस	उप–कुलसचिव, अकादमी	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
6.	उत्तर–पुस्तिकाओं का अवलोकन	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	15– कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
7.	कोशंनमनी की वापसी/स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र	श्री आर0के0 चिलौग्या, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	03–कार्य दिवस	डॉ0 आई0के0 मंसूरी, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
8.	चरित्र प्रमाण–पत्र	संबंधित विभागाध्यक्ष	02–कार्य दिवस		07–कार्य दिवस	कुलसचिव
9.	दस्तावेजों का सत्यापन	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	03–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव

अ) आवेदक को परिशिष्ट "1" में दर्शाये गये प्रपत्र के अनुसार आवेदन करना होगा।

ब) पदाभिहित अधिकारी नियम 5(1) के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट "2" में आवेदक को निर्धारित प्रारूप में की प्राप्ति देगे।

स) पदाभिहित अपने कार्यालय में नियम 16 के अंतर्गत परिशिष्ट "3" में लोक सेवा प्रदान की गई संबंधी पंजी संधारित करेगे।

द) आवेदक को अपने आवेदन के साथ रूपये 100/– (एक सौ रूपये) शुल्क स्वरूप चालान/आई0पी0ओ0 द्वारा जमा कराने होगे।

य) आवेदक अपने आवेदन के साथ समस्त वांछित अभिप्रमाणित अभिलेख संलग्न करने होगे।

र) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 6.2 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार द्वितीय अपीलीय अधिकारी को है।

ल) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 6.2.1(क) के अनुसार पदाभिहित अधिकारी के विरूद्ध शास्ति बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण के सेवा प्रदान करने में असफल रहने पर न्यूनतम रूपये 500/– तथा अधिकतम रूपये 5000/– होगी। सेवा प्रदान करने में विलम्ब करने की स्थिति में यह राशि रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से अधिकतम रूपये 5000/– होगी।

व) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 6.2.3 के अनुसार पदाभिहित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के अनुपालन में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

(कुलसचिव)

प्रति,

1) समस्त संबंधित पदाधिकारी, जीविवि।

प्रतिलिपि,

1) श्री विश्वरंजन गुप्ता, विश्वविद्यालय यंत्री, कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय में उपयुक्त स्थान पर सूचना पटल के रूप में प्रदर्शित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

2) श्री संजय बरथरिया, उक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर तत्काल अपलोड करावे, ताकि आमजन म0प्र0 शासन की नीतियों के अनुरूप इस व्यवस्था का लाभ ले सके।

उप–कुलसचिव,(प्रशा)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : प्रशा/जीविवि/2017/ 1092 दिनांक : 11 /08/2017

//अधिसूचना//

म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् उच्च शिक्षा विभाग की सेवायें, पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम, शर्तें, प्रक्रिया इत्यादि निम्नानुसार अधिसूचित की गई है:–

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदना	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1.	नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र प्रदान करना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	03–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
2.	प्रोवीजनल उपाधि/डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	02–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
3.	अंकसूची में सुधार/नाम/उपनाम (सरनेम) सुधार करना	श्री अभयकान्त मिश्रा, सहायक कुलसचिव, परीक्षा	02–कार्य दिवस	डॉ0 राजीव मिश्रा, उप–कुलसचिव, गोपनीय	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
4.	शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना	श्री यू0एस0 सालसेकर, सहायक कुलसचिव, अकादमी	15–कार्य दिवस	उप–कुलसचिव, अकादमी	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव
5.	शोध प्रबंध (Thesis) प्रस्तुति के पश्चात् पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना	श्री यू0एस0 सालसेकर, सहायक कुलसचिव, अकादमी	180–कार्य दिवस	उप–कुलसचिव, अकादमी	07–कार्य दिवस	प्रो0 आनन्द मिश्रा, कुलसचिव

अ) आवेदक को परिशिष्ट "1" में दर्शाये गये प्रपत्र के अनुसार आवेदन करना होगा।

ब) पदाभिहित अधिकारी नियम 5(1) के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट "2" में आवेदक को निर्धारित प्रारूप में की प्राप्ति देगे।

स) पदाभिहित अपने कार्यालय में नियम 16 के अंतर्गत परिशिष्ट "3" में लोक सेवा प्रदान की गई संबंधी पंजी संधारित करेगे।

द) आवेदक को अपने आवेदन के साथ रूपये 100/– (एक सौ रूपये) शुल्क स्वरूप चालान/आई0पी0ओ0 द्वारा जमा कराने होगे।

य) आवेदक अपने आवेदन के साथ समस्त वांछित अभिप्रमाणित अभिलेख संलग्न करने होगे।

र) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 6.2 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार द्वितीय अपीलीय अधिकारी को है।

ल) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 6.2.1(क) के अनुसार पदाभिहित अधिकारी के विरूद्ध शास्ति बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण के सेवा प्रदान करने में असफल रहने पर न्यूनतम रूपये 500/– तथा अधिकतम रूपये 5000/– होगी। सेवा प्रदान करने में विलम्ब करने की स्थिति में यह राशि रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से अधिकतम रूपये 5000/– होगी।

व) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 6.2.3 के अनुसार पदाभिहित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के अनुपालन में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

(कुलसचिव)

प्रति,

1) समस्त संबंधित पदाधिकारी, जीविवि।

प्रतिलिपि,

1) श्री संजय बरथरिया, उक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर तत्काल अपलोड करावे, ताकि आमजन म0प्र0 शासन की नीतियों के अनुरूप इस व्यवस्था का लाभ ले सके।

उप–कुलसचिव,(प्रशा)